



BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX

December, 2019

No. 11

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार - झारखण्ड) के साथ चैम्बर की बैठक सम्पन्न



बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयी ओर क्रमशः प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह,

मुख्य आयकर आयुक्त श्री सौभिक गुहा एवं प्रधान आयकर निदेशक श्री संजीव दत्त तथा दाँयी ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुपर जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मस एण्ड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 को बिहार-झारखण्ड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह के साथ चैम्बर के सदस्यों की एक बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य आयकर आयुक्त श्री सौभिक गुहा, प्रधान आयकर निदेशक श्री संजीव दत्त, आयकर आयुक्त श्री रजत शुभ्र विश्वास, आयकर आयुक्त श्री राम विलास मिश्रा, आयकर आयुक्त श्री मानस मेहोत्रा, संयुक्त आयकर आयुक्त श्री प्रवीन किशोर, संयुक्त आयकर आयुक्त श्री सुमित राय सहित आयकर विभाग के कई अधिकारीगण उपस्थित थे।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर एवं राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों को बराबर आयकर विभाग से कार्य रहता है जिसके चलते चैम्बर की यह परम्परा रही है कि जब भी आयकर विभाग के सर्वोच्च पद पर जो भी अधिकारी आते हैं उनके साथ पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है। वैसे तो आज सिर्फ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त महोदय के स्वागत हेतु यह बैठक आयोजित है, फिर भी अपनी समस्याओं से आपको अवगत कराने के लोभ का हम संवरण नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गत वर्ष की तुलना में नये कर दाताओं की संख्या में करीब दस लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। बिहार एवं झारखण्ड में जो भी बड़ी कम्पनियाँ हैं उनका मुख्यालय दूसरे राज्यों में अवस्थित होने के कारण उनके आयकर का भुगतान भी उसी राज्य में होता है। इस प्रकार बिहार के हिस्से में जो आयकर संग्रह होना चाहिए वह दूसरे राज्यों के हिस्से में चला जाता है। पिछले दो वर्षों में करीब दो हजार करोड़ का टैक्स संग्रह बढ़ा है।

चैम्बर अध्यक्ष ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को एक ज्ञापन भी समर्पित किया जिसमें- सत्यापन याचिका का नियत समय पर निपटारा किया जाये, आयकर दाताओं के त्रुटिपूर्ण रिटर्न की सूचना देते हुए उसमें सुधार की सुविधा प्रदान की जाये, आयकर भवन में आयकर दाताओं की सुविधा हेतु HELP DESK की सुविधा प्रदान की जाये, TDS चालान में ऑनलाईन सुधार की

सुविधा प्रदान की जाये, रैंडम रिपोर्ट को नियत समय पर प्रस्तुत किया जाये, आदि प्रमुख थे।

चैम्बर सदस्यों एवं अन्य व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि आयकर विभाग टैक्स वसूली में पूरे देश में 5 प्रतिशत आगे है जबकि बिहार में लक्ष्य से 12 प्रतिशत कम टैक्स वसूली हुई है। उन्होंने कहा कि आयकर कम जमा करने की प्रवृत्ति के चलते आयकर विभाग को कड़ा कदम उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को ईमानदारी पूर्वक आयकर जमा करना चाहिए। यह आपके कारोबार और राष्ट्रद्वित में होगा।

उन्होंने आगे कहा कि कारोबारियों के दिलों में यह बात बैठ गयी है कि आयकर अधिकारी हमारे विरोधी हैं, तो यह गलतफहमी है। श्री सिंह ने कहा कि आयकर दाताओं को बिल्कुल पारदर्शी एवं ईमानदारी के साथ सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ईमानदारी को लेकर मैं काफी गंभीर हूँ। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की शिकायत हो तो निःसंकोच मुझसे सम्पर्क कर सकते हैं। उस पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी। चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो। आयकर विभाग का काम है कि आयकर का एक-एक पैसा सरकार के खाते में जाये। इसके लिए सख्ती की जाती है। अतः आपसे आग्रह है कि आपका जो भी टैक्स बनता है उसका भुगतान ईमानदारी से करें। अगर आपने कर छुपाया है तो गलती की जिम्मेवारी करदाता पर आती है, न कि आयकर अधिवक्ता और सीए पर। इसलिए इस पर आत्ममंथन की जरूरत है।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा कि सत्यापन याचिका के निष्पादन के लिए 1 से 15 जनवरी, 2020 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा, जिसमें अधिक से अधिक शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि कारोबारी अपने कारोबार के साथ-साथ अपना मेल भी चेक करते रहें ताकि किसी बात को लेकर आपत्ति न हो। ऑनलाईन सुविधा देने का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिकारियों से कारोबारियों को दूर रखना है।



अध्यक्ष की कलम से.....✍

प्रिय बन्धुओं

जब तक यह बुलेटीन आपके हाथ में पहुँचेगी, आप नये साल में प्रवेश कर चुके होंगे। नये वर्ष में आपको हर प्रयास में सफलता मिले, आप अपने अधूरे कार्यों को मूर्त रूप दे सकें, घर-परिवार में खुशहाली और कारोबार में आशातीत प्रगति हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है।

“स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स समिट-2019” का आयोजन केन्द्र सरकार कम्पनी मामलों के मंत्रालय और इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी की ओर से दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को होटल मौर्या में हुआ। चैम्बर की ओर से मैं, श्री संजय भरतिया एवं श्री अशोक कुमार इस समिट में सम्मिलित हुए थे। इस कार्यक्रम को मैंने भी सम्बोधित किया। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम काफी उपयोगी रही।

प्रभात खबर एवं चैम्बर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को चैम्बर प्रांगण में एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसका विषय था “ऑनलाईन कारोबार और लोकल बाजार”। संवाद में यह बात सामने आयी कि ऑनलाईन कारोबार से खुदारा कारोबार में मंदी आ रही है और स्थानीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। इस संवाद के बारे में वक्ताओं की राय और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी इसी बुलेटीन में आगे प्रकाशित है।

चैम्बर एवं रोटरी पाटलीपुत्रा की ओर से चैम्बर प्रांगण में दिनांक 23 नवम्बर, 2019 को एक विवाह प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसमें वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे। प्रतियोगिता में 15 स्कूलों के 150 बच्चों ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में एक सुदृढ़ पर्यावरण चेतना को जागृत एवं विकसित करना था।

नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री वीरेन्द्र सिंह के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 को एक बैठक हुई। इस अवसर पर कई आयकर अधिकारीगण एवं विभिन्न उद्योग एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। विस्तृत जानकारी इसी बुलेटीन में प्रकाशित है। बैठक काफी उपयोगी रही।

जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निदेशक श्री बी. सी. एच. नेगी के साथ चैम्बर की एक बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को चैम्बर प्रांगण में हुई। इस बैठक में चैम्बर की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन भी श्री नेगी को समर्पित किया गया। बैठक में एयरपोर्ट निदेशक अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त कई एयरलाइन्स के स्टेशन मैनेजर भी इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक काफी उपयोगी रही। बैठक सम्बन्धी जानकारी इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव डॉ. प्रतिमा से मिलकर वैट सम्बन्धी मामलों के निपटारा हेतु एक मुश्त निपटारा योजना (OTS) पर विचार-विमर्श किया। डॉ. प्रतिमा ने विचार-विमर्श के बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि चैम्बर के सुझावों को इस OTS योजना में समाहित किया जायेगा। प्रतिनिधिमंडल में श्री आलोक पोदार, संयोजक जीएसटी सब कमिटी, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, अधिवक्ता, श्री जी० पी० सिंह तथा श्री अनिल पचीसिया सम्मिलित थे।

व्यवसायियों के लिए हर्ष की बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को आईजीएसटी सेटलमेंट मंत्री समूह का संयोजक बनाया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी की कार्य कुशलता के फलस्वरूप आईजीएसटी सेटलमेंट मंत्री समूह का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं सहित,
सादर,

आपका
पी० के० अग्रवाल



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह को पुष्प गुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल



मुख्य आयकर आयुक्त श्री सौभिक गुहा को पुष्प गुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर



प्रधान आयकर निदेशक श्री संजीव दत्त को पुष्प गुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।



आयकर आयुक्त श्री रंजत शुभ्र विश्वास को पुष्प गुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।



आयकर आयुक्त श्री राम बिलास मिश्रा को पुष्प गुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।



आयकर आयुक्त श्री मानस मेहरोत्रा को पुष्प गुच्छ भेंटकर
स्वागत करते चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।



बैठक को संबोधित करते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल,
उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह।



बैठक को संबोधित करते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह। उनकी
बाँयीं ओर क्रमशः मुख्य आयकर आयुक्त श्री सौभिक गुहा, प्रधान आयकर
निदेशक श्री संजीव दत्त, आयकर आयुक्त श्री रंजत शुभ्र विश्वास, आयकर
आयुक्त श्री राम बिलास मिश्रा, आयकर आयुक्त श्री मानस मेहरोत्रा एवं अन्य।



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह को
मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाला साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

श्री सिंह ने कहा कि बिहार में शीघ्र फेसलेस एसेसमेंट करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इससे किसी भी अधिकारी के बारे में पता नहीं चल पायेगा कि किस अधिकारी के पास किसकी फाइल है।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) ने चैम्बर द्वारा महिलाओं के लिए संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा फिजियोथेरेपी एवं फिटनेस सेंटर का किया अवलोकन



फिजियोथेरेपी एण्ड फिटनेस सेंटर का अवलोकन करते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह (दाँवें)। एवं सेंटर संबंधी जानकारी देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री वीरेन्द्र सिंह ने दिनांक 5 दिसम्बर 2019 को चैम्बर द्वारा महिलाओं हेतु निःशुल्क संचालित

विभिन्न वक्ताओं के प्रश्नों का उत्तर भी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने दिया। उक्त अवसर पर बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन, पटना केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसियेशन, बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन, पाटलिपुत्र सर्फा संघ, पटना स्कूटर ट्रेडर्स एसोसियेशन, बिहार मार्बल टाइल्स एण्ड ग्रेनाइट व्यवसायी कल्याण समिति, बिहार इन्कम टैक्स बार एसोसियेशन, इंस्टीचूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (पटना चैप्टर), बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया (पटना चैप्टर), न्यू मार्केट व्यवसायी कल्याण समिति, बिहार महिला उद्योगी संघ के प्रतिनिधियों सहित चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, श्री राजेश कुमार खेतान, श्री सुनील सराफ, कैट के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल नोपानी सहित कई आयकर अधिवक्ता व चार्टर्ड एकाउंटेंट उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को चैम्बर अध्यक्ष ने मेमेन्टों एवं चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेट कर सम्मानित भी किया।

धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर ने किया।



महिलाओं हेतु व्युटीशियन प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह (बाँवें)। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

कौशल प्रशिक्षण केन्द्र एवं फिजियोथेरेपी एण्ड फिटनेस सेंटर का अवलोकन किया एवं चैम्बर द्वारा चलाये जा रहे सेंटरों हेतु चैम्बर की सराहना की।

प्रतिस्पर्धा से ही बचेगा रिटेल बाजार, छोटे कारोबारियों के हित में बने पॉलिसी प्रभात खबर और बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स के संवाद कार्यक्रम में जुटे कारोबारी



संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँवीं ओर प्रभात खबर के संपादक श्री अजय कुमार, प्रभात खबर के उपाध्यक्ष श्री विजय बहादुर एवं अन्य। बाँवीं ओर केंट के बिहार इकाई के चेयरमैन श्री कमल नोपानी, कैट बिहार इकाई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वर्मा एवं अन्य।

रिटेल बाजार प्रतिस्पर्धा करके ही ऑनलाइन बाजार के बड़े प्लेयरों के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। इसके लिए रिटेल बाजार को अपनी सेवा और

गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है। यहीं नहीं, तकनीक का इस्तेमाल कर भी छोटे कारोबारी अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वह ऑनलाइन



बाजार के फ्रॉड (धोखाधड़ी) पर कड़ी नजर रखे और छोटे कारोबारियों को संरक्षण दे।

उक्त बातें दिनांक 27 नवम्बर 2019 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ‘ऑनलाइन कारोबार और लोकल बाजार’ विषय पर आयोजित विचार-विमर्श में वक्ताओं ने कहाँ। प्रभात खबर और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में लघु व मध्यम उद्योग से जुड़े कई व्यवसायियों ने हिस्सा लिया।

एमओपी फिक्स करें कंपनियाँ : कारोबारियों ने कंपनियों के स्तर पर भी मार्केटिंग ऑपरेटिव प्राइस (एमओपी) फिक्स किये जाने की मांग उठायी। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियाँ नहीं चेतीं तो उनका भी बहिष्कार किया जायेगा। रियल इस्टेट, लॉंस और फुटवियर बाजार से जुड़े कारोबारियों ने ऑनलाइन मार्केटिंग से फायदे की बात कही।

इससे पहले प्रभात खबर के संपादक (बिहार) अजय कुमार ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए विषय प्रवेश कराया। प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट विजय

बहादुर ने बताया कि किस तरह जोमैटो और स्विगी जैसी ऑनलाइन कंपनियों के आने से रेस्टरां-होटल व्यवसाय में फुटफॉल घटा नहीं, बल्कि उनका व्यवसाय बढ़ा ही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने की। इस मौके पर परसन कुमार सिंह, संदीप सराफ, उषा झा, अशोक कुमार वर्मा, राजेश खेतान, कमल नोपानी, मुकेश जैन, विनोद कुमार सहित दर्जनों कारोबारी मौजूद रहे।

पॉलिसी के स्तर पर बड़े बदलाव करे सरकार : ऑनलाइन व्यवसाय को लेकर कारोबारियों की अलग-अलग राय रही। किसी ने इसे भविष्य का मार्केट कहा। तो किसी ने मीठा जहर। कारोबारियों ने पूछा कि ऑनलाइन कंपनियाँ अखिर कैसे एमआरपी पर 37 फीसदी तक की छूट दे सकती है। कहीं, यह टैक्स की चोरी तो नहीं? ऑनलाइन के बढ़ते बाजार से छोटे कारोबारी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सरकार को इनके संरक्षण को लेकर पॉलिसी के स्तर पर बड़े बदलाव करने होंगे।

(साभार : प्रभात खबर, 28.11.2019)

ऑनलाइन से रिटेल में मंदी, स्थानीय व्यापार प्रभावित

प्रभात खबर और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संवाद कार्यक्रम में कारोबारियों ने रखीं बातें



संवाद कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर एवं प्रभात खबर के पदाधिकारीगण, उद्यमी, व्यापारी एवं समाज के प्रबुद्धजन।

प्रभात खबर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विचार-विमर्श कार्यक्रम में कारोबारियों ने कहा कि ऑनलाइन बाजार ने रिटेल कारोबार में मंदी ला दी है। इसकी वजह से छोटे कारोबारी बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन कंपनियों ने दशहरे से दीवाली तक देश में करीब 81 हजार करोड़ रुपये का कारोबार किया, लेकिन सरकार को उसके हिसाब से राजस्व नहीं मिला। उल्टे 500 करोड़ का रिटेल बाजार प्रभावित हो गया।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियों की छूट के ज्ञांसे में पूरा बाजार चौपट हो गया है। कारोबारियों ने केन्द्र सरकार ने मांग करते हुए कहा कि इन ऑनलाइन कंपनियों की ऑडिट करायी जानी चाहिए कि वे छूट कहाँ से दे रही हैं? वैंकों के माध्यम से हो रहे कैशबैंक के खेल की भी जाँच होनी चाहिए। अगर निर्धारित कंपनियाँ छूट दे रही हैं तो वे रिटेल दुकानदारों को छूट क्यों नहीं देती? कारोबारियों ने आश्चर्य जताया कि ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है, जिसमें प्रति वर्ष हजारों करोड़ का घाटा होने के बाद भी ऑनलाइन कंपनियाँ छूट पर छूट दें रही हैं। उन्होंने ऑनलाइन कंपनियों के भविष्य पर सवाल उठाते हुए केन्द्र सरकार से इस संबंध में अविलंब इ-कॉमर्स पॉलिसी लागू किये जाने की मांग की।

“ऑनलाइन बाजार का बड़े स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस पर चर्चा हो। यह भी देखें कि आने वाले समय में ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? रिटेल बाजार आज के समय में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। सरकार नयी पॉलिसी बनाये।”

“ऑनलाइन मार्केट में छूट के खेल के नाम पर छोटे कारोबारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन कंपनिया ऐसा करके न केवल सरकार को खुली चुनौती दे रही हैं, बल्कि इससे जीएसटी का भी चूना लग रहा है।”

“सरकार भी ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देने में लगी हुई है। सभी खरीदारी जैम के माध्यम से हो रही है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में क्वालिटी प्रोडक्ट का भरोसा हम नहीं कर सकते हैं।”

— ए. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

“ऑनलाइन सिस्टम को हटा नहीं सकते हैं। इससे बेहतर होगा कि हमलोग अपने सामान को ऑनलाइन माध्यम से बेच सकें तभी बाजार में मुकाबला कर सकते हैं।”

— मुकेश जैन, उपाध्यक्ष, बीसीसीआई

“ऑनलाइन कारोबार से खुदरा व्यापारियों का कारोबार चौपट हो रहा है और ऑनलाइन कारोबार छोटे शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों तक में पैर पसारने लगा है, खुदरा व्यापारियों के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं।”

— पी. के. सिंह, अध्यक्ष

बिहार केमिस्ट एवं ड्रिगिस्टस एसोसिएशन

“ऑनलाइन कंपनियाँ लोगों में घर कर गयी है। सब्जी और अनाज तक ऑनलाइन खरीदे जा रहे हैं। लोकल बाजार पर असर पड़ा है। अभी के लोगों को क्वालिटी से मतलब नहीं केवल ऑफर पर आश्रित रहते हैं।”

— भावेश कुमार, सेक्रेटरी, क्रेडाइ

“कान्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने अमेजन एवं फिलप कार्ट के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। ई-कॉमर्स कंपनियाँ सरकार को चूना लगा रही है। जो सामान बाजार में 10 हजार में बेची जा रही है।”

— कमल नोपानी, कैट (बिहार), चेयरमैन

“देश में आर्थिक कमजोरी कई कारणों से आयी है। इसकी वजह को समझना बहुत जरूरी है। छूट के ज्ञांसे में पूरा बाजार चौपट हो गया है। ये कंपनियाँ अरबों का चूना लगा रही हैं।”

— अशोक कुमार वर्मा, कैट (बिहार), अध्यक्ष

“ऑनलाइन कंपनियों को पिछले दो साल में घाटा हुआ है। फिर भी बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई है। 2017-2018 में 3222 करोड़ का घाटा होने पर भी 17822 करोड़ से 24717 करोड़ की बिक्री बढ़ी।”

— शशि मोहन, पूर्व महामंत्री, बीसीसीआई

“ट्रेड पर इकोनॉमी टिकी हुई है। डिजिटल क्रांति का युग है। हमें पुरानी बातों को छोड़ना होगा और नये चैलेंज को अपनाना होगा। आवश्यक नहीं कि किसी की खीची हुई लाइन को मिटा दो या छोटा कर दो।”

— राजेश खेतान, चार्टर्ड अकाउंटेंट



“बाजार में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, जो ऑनलाइन ही बिकते हैं। उसकी कीमत भी अलग होती है। सरकार को इसे लेकर गाइड लाइन बनाने की जरूरत है। एमआरपी मूल्य में चेंज करने की जरूरत है।”

— आलोक पोद्धार, संयोजक, जीएसटी सब कमीटी चैम्बर

“पहले सरकार ऑनलाइन कंपनियों को कार्ड स्पेशल सुविधा प्रदान करें। उनके सर्विसेस पर पैनी नजर रखें। जीएसटी में गिरावट नहीं आये। नकली सामान नहीं पहुँचे।”

— संतोष कुमार, महामंत्री, पटना केमिस्ट्री एण्ड ड्रिमिस्ट्री एसोसिएशन

“ट्रेड को बदलना होगा। व्यापारियों को ऑनलाइन तरीके अपनाना होगा। उसके समकक्ष एक विकल्प खड़ा करना होगा। सर्विस के साथ सुविधाएँ देनी होगी। यह तय करना होगा कि ऑनलाइन और रिटेल बाजार में मूल्यों का अंतर नहीं हो।”

— संदीप सराफ, अध्यक्ष, बिहार इलेक्ट्रोक ट्रेडस एसोसिएशन

“ऑनलाइन सिस्टम से लोकल व्यवसायी सहित सरकार को भी नुकसान होता है। ऑनलाइन में जितने मूल्य में सामान की बिक्री होती है उतने पर ही जीएसटी लगता है।”

— विनोद कुमार, अध्यक्ष, पारालिप्रत्र सर्फांक संघ

“उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खरीदारी के भ्रम को तोड़ना होगा। उसे जागरूक करना होगा कि ऑनलाइन खरीदारी सस्ती नहीं है। तभी ऑनलाइन कारोबार से मुकाबला संभव है।”

— आशीष कुमार अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट

“ऑनलाइन खरीदारी से लोकल बाजार पर असर पड़ रहा है। साथ ही उपभोक्ता भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पटना में भी चश्मा का फ्रेम बिक्री करने का काम ऑनलाइन से हो रहा है। लोग ऑफर करते हैं।”

— रामचन्द्र प्रसाद, व्यवसायी

“ऑनलाइन से होटल व्यवसाय में दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन में तरह-तरह की सुविधाएँ देने की बात होती है। लोग आकर्षित होकर वहाँ जाते हैं। बाद में भले वह सुविधाएँ नहीं मिले।”

— अमर कुमार, सदस्य, होटल ऑनर एसोसिएशन

“किसी भी सामान की कीमत बताने पर ग्राहक मोबाइल में रेट देखने लगते हैं। अगर उसे अधिक लगता है तो दुकान से चला जाता है। इस पर अंकुश लगना चाहिए।”

— आर. एस. जीत, इलेक्ट्रोनिक कारोबारी

“फुटवेयर व्यवसायियों को संगठित होने की जरूरत है। ऑनलाइन का

कारोबार बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन खरीदारी में डिस्काउंट दिया जाता है। साथ ही ऑनलाइन कारोबार करनेवाले को भी राशि दी जाती होगी।”

— नीलेश कुमार, कारोबारी

“ऑनलाइन दवा व्यापार से आठ लाख केमिस्ट और 40 लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। ऑनलाइन बाजार से जनमानस को सही समय पर सही दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पायेगी।”

— अमरनाथ वर्मा, संयोजक, बिहार केमिस्ट्री एण्ड ड्रिमिस्ट्री एसोसिएशन

“ऑनलाइन साइट से बुकिंग कर पर्यटन कभी-कभी महँगा पड़ता है। इसमें मुद्दा आप्टर सर्विस का है। एक दूर ऑपरेटर पैकेज बिक्री के बाद भी सेवा देता है, लेकिन ऑनलाइन में इसकी कमी रहती है।”

— प्रकाश चन्द्रा, विजिट बिहार

“सरकार को दोनों बाजार पर ध्यान देना होगा। सभी का अपना महत्व है। हम किसी भी चीजों को नकार नहीं सकते। हाँ, यह बात जरूर है कि इ-कॉर्मस कंपनियाँ सरकार को चूना लगा रही हैं।”

— उषा झा, अध्यक्ष, महिला उद्योग संघ

“पाँच साल से लड़ाई चल रही है। प्रत्येक एसोसिएशन को लड़ाई लड़नी होगी। सभी कंपनियों के सीड़िओ से पिछले साल बात हुई थी। कहा गया था कि ऑनलाइन धंधा करना है तो हम व्यापारी किसी भी कंपनी का सामान नहीं बेचेंगे।”

— नवीन गुप्ता, महामंत्री, फेया

“ऑनलाइन बाजार में ऑफर का कारोबार हो रहा है। इसने रिटेल मार्केट के कारोबार को चौपट कर दिया है। शाम को ग्राहक नहीं आ पाते हैं। कर्ज से डूबे व्यापारी मंदी की मार झेल रहे हैं।”

— गुरु प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, रेडिमेंट गारमेंट्स एसोसिएशन

“सामान की बिक्री को लेकर सरकार की पॉलिसी गलत है। जेम पोर्टल में ऑथराइज व्यवसायी ही कारोबार कर सकते हैं। ऑनलाइन आने से लोग बेरोजगार होंगे। सरकार ही कुछ कर सकती है।”

— मुकेश कुमार, कारोबारी

सुझाव : • छोटे कारोबारियों को भी एक संगठन बना कर ऑनलाइन सेल करना चाहिए। • कैशबैंक रिटेल में भी मिले, ऑनलाइन पेमेंट में चार्ज नहीं करें, इस पर भी बात होनी चाहिए। • लोगों को बताना होगा कि ऑनलाइन कंपनियों में डुप्लीकेट समान भी ज्यादा बेचे जाते हैं। (साभार : प्रभात खबर, 28.11.19)

स्टेकहोल्डर्स और इन्वेस्टर्स समिट-2019 को उप मुख्यमंत्री ने किया सम्बोधित



स्टेकहोल्डर्स / इन्वेस्टर्स समिट का दीप प्रज्ञवलित कर शुभारम्भ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, परिवहन सचिव श्री संजय अग्रवाल, सॉलिसीटर जेनरल आफ इंडिया श्री एस. डी. संजय, रजिस्ट्रर ऑफ कम्पनीज श्री हिमांशु शेखर।

देश में जीएसटी लागू होने के पहले बिहार में 1,59,721 डीलर निर्बंधित थे। मगर जीएसटी लागू होने पर निर्बंधन प्रक्रिया के सरलीकरण के बाद



**STAKEHOLDERS / INVESTORS SUMMIT - 2019
EASE OF DOING BUSINESS - INITIATIVES BY MCA**

Organised by :
Registrar of Companies, Bihar
and
Secretary, Bihar (FICCI Chapter)
Institute of Company Secretaries of India
Sponsoring Body :
MCA 21 Service Transformation

Ministry Corporate Affairs
Govt. of India

समिट को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। मंचासीन बाँये से रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज श्री हिमांशु शेखर, सॉलिसीटर जेनरल ऑफ इंडिया, श्री एस. डी. संजय, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स के क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व) श्री डी. बंधोपाध्याय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं परिवहन सचिव श्री संजय अग्रवाल।

कार्यक्रम में अमीटी युनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ खड़े चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बाँये से दूसरे)

आशर्चयजनक ढंग से ढाई वर्षों में 2.72 लाख नये निबंधन से संदेह होता है। ये बातें सूबे के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को कही। केन्द्र सरकार के कम्पनी मामलों के मंत्रालय और भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की ओर से आयोजित 'स्टेकहोल्डर्स व इंवेस्टर्स समिट-2019' को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान 90,626 ऐसे करदाता पाये गये हैं, जिन्होंने छह महीने से अधिक तक रिटर्न दाखिल नहीं किया। 7,368 फेक कारोबारियों के निबंधन को रद्द किया गया है। 319 कारोबारियों के परिसर के भौतिक सत्यापन में अबतक 18 फर्जी पाये गये हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के 190 देशों में व्यापार की सुगमता के मामले में 2014 में भारत जहां 142वें स्थान पर था। वहीं 79 अंकों के सुधार के साथ 2019 में 63वें स्थान पर आ गया है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार सरकार 'सीएसआर फंड ट्रस्ट' गठित करने पर विचार कर रही है ताकि कम्पनी एक्ट के तहत बड़ी कंपनियों की ओर से सामाजिक दायित्व के निर्वहन पर खर्च की जाने वाली दो फीसदी राशि का ज्यादा हिस्सा बिहार के लिए हासिल किया जा सके। पिछले चार सालों में खर्च हुए सीएसआर फंड के 8,636 करोड़ में से बिहार को मात्र 271 करोड़ ही मिल पाया है।

उन्होंने कहा कि नोटबन्दी के बाद जहां डिजिटल ट्रांजेक्शन में तीन गुना की वृद्धि हुई है। वहीं पूरे देश में तीन साल में नगदी प्रवाह में तीन लाख चार हजार करोड़ की कमी आयी है। नोटबन्दी के बाद बिहार में 19 हजार ऐसे खाते पाये गये, जिनमें दो लाख से अधिक तथा 1900 खाते में एक करोड़ से अधिक राशि जमा किये गये। आयकर विभाग ऐसे खातों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि नोटबन्दी के बाद पूरे देश में 3 लाख, 38 हजार तथा बिहार में 5,913 फर्जी व शोल कम्पनियों के निबंधन रद्द किये गये हैं।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि कारोबारियों को समय पर जोएसटी रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इससे कारोबार में सहुलियत मिलती है। उन्होंने कहा कि कम्पनी



कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को प्रशस्ति पत्र देकर

सम्मानित करते इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया

(पटना चैप्टर) के चेयरमैन श्री सुधीर कुमार।

रजिस्ट्रार को समय-समय पर कम्पनियों की कार्यों की जांच करनी चाहिए ताकि सरकार को राजस्व की हानि न हो।

कार्यक्रम को परिवहन सचिव श्री संजय अग्रवाल, सॉलिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया श्री एस० डी० संजय, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स के क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व) श्री डी० बंधोपाध्याय ने भी संबोधित किया।

रजिस्ट्रार श्री हिमांशु शेखर ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि बिहार में करीब 6 हजार फर्जी कम्पनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। अब कम्पनी का निबंधन मात्र 24 घंटे में हो सकता है। किसी को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। विभाग हर हाल में अपने मूल वाक्य सेवा और पारदर्शिता का पालन करता है।

उक्त अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (पटना चैप्टर) के चेयरमैन श्री सुधीर कुमार ने पुष्पगुच्छ, शॉल एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।

पटना एयरपोर्ट पर दो और एक्स-रेमशीनें लगेंगी : नेगी

सुविधा चेकिंग काउंटर 15 से बढ़कर 20 हो जायेंगे, स्पाइस जेट की सेवा जल्द ही शुरू होगी

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना एयरपोर्ट परिसर में दो नयी एक्सरेमशीन लगायी जायेगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और साथ ही समय की बचत होगी। ये बातें जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निदेशक बीसीआई नेगी ने दिनांक 20 दिसम्बर 2019 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज में



आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं, उन्होंने कहा कि दो-तीन माह के अंदर चेकिंग काउंटर 15 से बढ़कर 20 हो जायेगी। साथ ही यथा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की सेवा जल्द ही शुरू होगी। कार्गो में भी नयी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि कारोबारियों को मात्र मंगाने में सुविधा हो। इसके पूर्व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि देश के सभी एयरपोर्ट की भाँति पटना में भी यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो देश के विकास का एक अच्छा संकेत है। यह भी सत्य है कि अन्य लोगों के तुलना में उद्यमियों एवं व्यवसायियों को व्यापार के सिलसिले में अधिक यात्रा करने की आवश्यकता

तहत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सील, समस्तीपुर, गया, आरा, दरभंगा, मोतीहारी के एयरपोर्ट का समुचित विकास कर आवश्यक सुविधाएँ मुहैया किया जाना चाहिए। • यथा एयरपोर्ट से घरेलु उड़ान की अधिकाधिक सेवाएँ प्रारंभ की जानी चाहिए। • सुरक्षा जाँच में प्रत्येक ट्रे के लिए दो टोकन का प्रावधान किया जाना चाहिए। एक टोकन ट्रे में हो और दूसरा टोकन यात्री के पास। • दिव्यांगों की सुविधा के लिए प्रवेश द्वारा पर हैड्रोलिक प्लैटफॉर्म की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। • दिल्ली एवं मुम्बई की तरह पटना में भी सभी मौसम में लैंडिंग की सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। (साभार : प्रभात खबर, 21.12.2019)



MEMORANDUM SUBMITTED BY BCCI TO SHRI B.C.H.NEGI, AIRPORT DIRECTOR, JPNI AIRPORT, PATNA. (20-12-2019)

1. In today's circumstances where time is of essence, it is essential that Regional Airport connectivity under Udaan Scheme with locations like Muzaffarpur, Bhagalpur, Purnea, Raxaul, Samastipur, Gaya, Ara, Darbhanga, Motihari etc. should be introduced with proper development of the airports with facilities.
 2. We request more flights for domestic connectivity from Gaya Airport.
 3. There is a sizeable number of persons from our State working in foreign countries. During their home coming and going back there is a substantial increase in the requirement of seats and flights, which should be addressed and also therefore would suggest direct flights from Patna to Gulf Countries and other destinations, which would address the grievances of such travelers and lessen the burden on Delhi & Mumbai Airports. To begin with a direct flight to Kathmandu should be introduced as Patna earlier had such a flight.
 4. It is suggested that direct flight from Patna to Kathmandu, Guwahati, Bagdogra and other North Eastern hill states should be introduced which would give the vacationers and business travellers convenience to visit these places for business and other purposes. There are many families residing in Patna and other cities in the state of Bihar visit Jaipur and other temples of Rajasthan. Moreover, Rajasthan attracts tourists and there is large number of such tourists intending to visit Rajasthan but the journey time prevents such tourists from visiting Rajasthan. At present there is only one operator (Indigo) with a flight from Patna to Jaipur with almost three to four hours stopover at New Delhi and this means that it takes 12 hours to reach Jaipur. There is also business between Rajasthan and Bihar in marbles & edible oils. It is therefore essential that flights should be introduced between Patna and Jaipur. There used to be a direct flight to Pune but the same has been discontinued and would request resumption of this services. Surat and Patna transact substantial business in textile and a direct flight to Surat from Patna would be highly appreciated.
 5. At present there is only one operational entry door at the Patna Airport which is insufficient. During the peak period the waiting line extends beyond the portico which causes sufferance for senior citizens and the physically challenged travellers or for parents carrying their new born babies. It is therefore, suggested that during such peaking at least two or three doors be made available for entry reducing the waiting line.
 6. Security Check scanner unit must provide two tokens for each tray, one in the tray and other with the passenger, enabling the flyer to identify his baggage. It happens that two persons carrying their laptops in similar looking bags often lead to exchange of laptop bags causing unnecessary harassment.
 7. Incase of travelers who are physically unable to climb the stairs to the entry gate a hydraulic platform should be made available.
 8. We request all weather landing facility be created at Patna Airport as available in Delhi, Mumbai because during monsoon and winter season due to excessive rain or fog, flights get cancelled, delayed or diverted.
 9. The weighing machines kept at the Patna Airport should be regularly monitored and checked because people as of today check the weight of the luggage to ensure that it is within the permissible limit but at the time of check in the weighing machine displays excess weight and invariably this leads to disagreement and unnecessary argument.
 10. Bihar Chamber of Commerce & Industries (BCCI) is the apex body of Trade & Industries since 1926 in the State of Bihar. In this regard, we would like to point out that at the time of visit of your predecessor Mr. R. S. Lahauria to BCCI on 16th May, 2018 he praised the role of this Chamber and also pointed out that night operation of Patna Airport was started on the suggestion of BCCI and hence cooperation at all levels may be taken by the Airport Authorities for improving the services.
 11. We request extension of time for pick up & drop facility at the Patna Airport as invariably during peak hours there is huge line of vehicles at the drop point which delays the process of dropping and so also at the time of pick up.
 12. Bus facility for the arrival passengers from Aircraft to Arrival lounge should be provided.
 13. The number of Security check up counters and scanners should be increased.
 14. Rates of eatable items of various branded/unbranded food stalls should not exceed the market rates.
 15. One lane is provided for arrival and departure of passengers outside the Patna Airport Terminal. It is requested to increase it to two lanes for this purpose.
 16. We request that large numbers of our members are regular Air Travelers hence some arrangement should be made for use of special lounge at Airport for them.
- We hope you will accelerate the development process of the Patna and Bihta Airports to the state-of-the-art-technology and speed up the process of starting flight services from other Divisional Headquarters of Bihar airport in the larger interest of the State of Bihar.
- With these words, we once again welcome you for being with us this evening along with your colleagues. It may not be out of place to mention that we enjoyed very cordial relations with your predecessors, which we are sure you would like to continue and we look forward to a fast and effective action which would be beneficial for the citizens of the State of Bihar.

राहत : जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ के पार

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह नवम्बर महीने में एक बार फिर एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। तीन महीने बाद जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ के पार पहुँचा है। नवम्बर में जीएसटी संग्रह एक साल पहले इसी माह की तुलना में छह प्रतिशत बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रहा। इससे पहले अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 95,380 करोड़ था। पिछले साल नवम्बर में 97,637 करोड़ की वसूली हुई थी।

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस बार नवम्बर में केन्द्रीय जीएसटी से 19,592 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से

27,144 करोड़, एकीकृत जीएसटी से 49,028 करोड़ और जीएसटी उपकर से 7,727 करोड़ की वसूली हुई है। एकीकृत जीएसटी में 20,948 करोड़ आयात शुल्क के रूप में वसूल हुए। इसी तरह उपकर की वसूली में 869 करोड़ आयातित वस्तुओं पर उपकर से प्राप्त हुए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नवम्बर में घरेलू लेन-देन पर जीएसटी संग्रह में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह इस साल जीएसटी राजस्व में सबसे अच्छी मासिक वृद्धि है। इससे पहले सितम्बर और अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर गिरावट आई थी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.12.2019)

पटना एयरपोर्ट के निदेशक ने किया चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन



पटना एयरपोर्ट के निदेशक श्री बी. सी. एच. नेगी ने अपने टीम के साथ दिनांक 20 दिसम्बर 2019 को चैम्बर द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क संचालित

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन किया। उन्होंने इस केन्द्र के संचालन हेतु चैम्बर की प्रशंसा भी की।

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने राज्य कर आयुक्त सह सचिव से वैट संबंधी मामलों के निपटारा हेतु एक मुश्त योजना पर किया विचार-विमर्श



चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 21 दिसम्बर 2019 को राज्य कर आयुक्त सह सचिव डॉ. प्रतिमा से उनके कार्यालय में मिला और वैट से संबंधित मामलों के निपटारा हेतु एक मुश्त निपटारा योजना (OTS) पर विचार-विमर्श किया। राज्य कर आयुक्त सह सचिव ने विचार-विमर्श के बिन्दुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए, प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि चैम्बर के सुझावों को इस (OTS) योजना में समाहित किया जायेगा। प्रतिनिधिमंडल में जीएसटी सब कमिटी के संयोजक श्री आलोक पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, अधिवक्ता, श्री जी. पी. सिंह तथा श्री अनिल पच्चीसिया सम्मिलित थे।

इस अवसर पर कई विभागीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष द्वारा वाशिंग एक्सप्रेस की पांचवी शाखा का उद्घाटन



वाशिंग एक्सप्रेस की शाखा का फीता काटकर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँये से प्रथम) एवं वाशिंग एक्सप्रेस के निदेशक एवं अन्य।

बिहार में पहली बार लाइव लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग की औपचारिक शुरूआत करने वाली कम्पनी वाशिंग एक्सप्रेस की पांचवी शाखा का उद्घाटन दिनांक 1 दिसम्बर, 2019 को एकजीवितान रोड में किया गया।

वाशिंग एक्सप्रेस की इस शाखा का विधिवत् उद्घाटन बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने किया। इस



वाशिंग एक्सप्रेस शाखा का उद्घाटन के अवसर पर प्रतीक चिह्न ग्रहण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँये से तीसरे)

अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि यहाँ पर कपड़ों की सिर्फ धुलाई ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता की सुरक्षा भी परिलक्षित हो रही है।

इस अवसर पर वाशिंग एक्सप्रेस के एक्जिक्युटिव डायरेक्टर श्री प्रेम कुमार सिंह, चीफ एक्जिक्युटिव ऑफिसर श्री अनिल कालरा, मेंटर रूचिका कालरा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थिति थे।

चैम्बर द्वारा स्थापित चैरिटेबुल फिजियोथेरेपी एण्ड फिटनेस सेंटर के संचालन की जिम्मेवारी अब फिजियोथेरेपिस्ट डॉ० रवि प्रकाश को - चैम्बर अध्यक्ष ने किया शुभारम्भ



फिजियोथेरेपी एण्ड फिटनेस सेंटर का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (मध्य में)। उनकी दाँयी ओर पटना एम्स के डॉक्टर संजीव कुमार एवं बाँयी ओर फिजियोथेरेपिस्ट डॉ०. रवि प्रकाश एवं अन्य



फिजियोथेरेपी सेंटर में एक मरीज (दाँयी ओर से प्रथम) की चिकित्सा करते फिजियोथेरेपिस्ट डॉ०. रवि प्रकाश। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, डॉ०. संजीव कुमार, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा स्थापित चैरिटेबुल फिजियोथेरेपी एण्ड फिटनेस सेंटर का संचालन अब जाने-माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉ०. रवि प्रकाश के द्वारा होगा। डॉ०. रवि प्रकाश ने 1 दिसम्बर, 2019 को सेंटर का शुभारम्भ किया जिसका उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं पटना एम्स के कार्डियक थोरेसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार ने किया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सौवल राम डोलिया, श्री ए. एम. अंसारी, श्री एम. पी. जैन, डॉ०. गीता जैन, डॉक्टर रवि प्रकाश की टीम सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थिति थे।

चैम्बर द्वारा स्थापित फिटनेस सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि रोगियों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध हो।

बैंक काउंटर से नहीं मिल रहे 10, 20 और 50 के नये नोट

सार्वजनिक और निजी बैंकों के काउंटर से ग्राहकों को 10, 20 और 50 रुपये के नोट नहीं मिलने के कारण लोग दलाल से नोट लेने को मजबूर हैं। बैंक काउंटरों से केवल उन्हीं लोगों को ये नोट मिल रहे हैं, जिनकी पहुँच बैंक के बड़े अधिकारी या कर्मचारियों तक हैं। वहाँ रिजर्व बैंक का कहना है कि छोटे मूल्य के नये नोटों की कोई कमी नहीं है। हर दो-तीन दिन में विभिन्न बैंक चेस्टों को भेजा जाता है। अगर लोगों को बैंकों के काउंटर से नोट नहीं मिले रहे हैं, तो यह चिंता का विषय है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों के लिए विशेष काउंटर बनाये गये हैं, जहाँ से लोग हर मूल्य के नये नोट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड की फोटो कॉपी अपने साथ अवश्य लाएँ।

शादी व अन्य मौकों पर पड़ती है जरूरत : शादी-ब्याह के मौके पर लोगों को छोटे मूल्य के नोटों की जरूरत विधि-विधान सहित अन्य मौके पर पड़ती है। लेकिन बैंकों के काउंटर से छोटे नोट नहीं मिलने के कारण वे नोट बदलने वाले दलालों की शरण में जाने को मजबूर हैं। लोगों की मानें, तो दस रुपये का एक बडल (1000 रुपये) देने के लिए दलाल को 80 रुपये तक कमीशन के रूप में देना पड़ रहा है। इसी तरह 20 और 50 रुपये के एक बडल के लिए 80-100 रुपये तक दलाल वसूल रहे हैं। ये दलाल रिजर्व बैंक के बाहर और पटना जंक्शन स्टेशन के पास दर्जनों की संख्या में फटे-पुराने नोट बदलने का कारोबार करते हैं। (साभार : प्रभात खबर, 4.12.2019)

गरीब व असहाय की मदद करना बड़ी सेवा - पी० के० अग्रवाल



समारोह को सम्बोधित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल



जरूरतमंदों को कम्बल प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

पाटलीपुत्र जन सेवा संस्थान की ओर से दिनांक 22 दिसम्बर, 2019 को अनादेह खण्डेलिया विवाह भवन, चौक, पटना सिटी में श्री धर्मचन्द सरावगी की अध्यक्षता में समारोह आयोजित कर समाज के गरीब असहाय एवं जरूरतमंदों के बीच कम्बलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

समारोह को सम्बोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि पाटलीपुत्र जन सेवा संस्थान की ओर से जन सेवा के जो कार्य किये जा रहे हैं वो सराहनीय एवं अनुकरणीय हैं। इस भीषण ठंड के मौसम में समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के बीच कम्बल प्रदान करना बड़ा ही पुनीत कार्य है। समाज के सक्षम वर्गों को समाज के असहायों, गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आगे चाहिए।

उन्होंने कहा कि मंच से जब कम्बल वितरण में सहयोग करने वालों का नाम पढ़ा जा रहा था, तब मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस पुनीत कार्य से मुझे क्यों वर्चित कर दिया गया जबकि इस संस्था से जुड़े लोग मुझसे भलीभांति परिचित हैं। मैं भी अगली बार कम्बल वितरण में सहयोग करूँगा। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण एवं इससे जुड़े कार्यों में भी अपनी ओर से हर सम्भव मदद करूँगा।

इस अवसर पर श्री प्रभु दयाल भरतिया, श्री राज कुमार पटवारी, श्री किशोर सराफ, श्री विश्वनाथ टेकरीवाल, श्री सुभाष झुनझुनवाला आदि उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष द्वारा रामेश्वर दास पन्ना लाल महिला महाविद्यालय के नियोजन मेले का उद्घाटन



नियोजन मेले का दीप प्रज्ञवलित कर शुभारम्भ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. पूनम एवं अन्य।



चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को बूके, शॉल एवं ममेन्टो देकर सम्मानित करतीं महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. पूनम।

पटना के चौक शिकारपुर स्थित रामेश्वर दास पन्ना लाल महिला महाविद्यालय में दिनांक 9 दिसम्बर, 2019 को नियोजन मेले का आयोजन किया

गया। इस मेले का उद्घाटन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, रेविन फार्मस्युटिकल्स के महाप्रबंधक श्री बी०



पी० राय, महेन्द्रा प्राइड स्कूल एवं नादी फाउंडेशन के प्रशासनिक अधिकारी श्री विवेक वर्मा एवं महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो० डॉ० पूनम के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि किसी भी महिला कॉलेज में आने का मेरा पहला अवसर है। अतः मैं यहाँ आकर काफी अभिभूत हूँ। आज के समय में छात्रों से ज्यादा छात्राओं को व्यवहारिक शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक शिक्षा के

ज्ञान से छात्राएँ आत्मनिर्भर हो जायेगी। हमारा संगठन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज यहाँ की बच्चियों को स्कूल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत भोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से यथा सम्भव सहयोग करेगा।

कार्यक्रम को अन्य अतिथियों एवं महाविद्यालय की प्राचार्य ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या ने शॉल, बूके व प्रतीक चिह्न देकर चैम्बर अध्यक्ष का स्वागत एवं सम्मान किया।

चैम्बर में ‘‘एसएईवीयूएस ईको अचीवर्स किवज’’ का आयोजन



किवज विजेता बच्चों के साथ वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, रोटरी पाटलीपुत्रा की अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी, श्री अशोक बिदासरिया एवं अन्य।

रोटरी पाटलीपुत्रा एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सहयोग से चैम्बर प्रांगण में दिनांक 23 नवम्बर, 2019 को ‘‘एसएईवीयूएस ईको अचीवर्स किवज’’ के पटना संस्करण का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में एक मजबूत पर्यावरण चेतना को विकसित एवं जागृत करना था। किवज कम्पीटिशन में छात्रों से प्रकृति एवं वन्य जीवन से सम्बन्धित प्रश्न पूछे गये। प्रतियोगिता में 15 स्कूलों के 5वीं, 6वीं और 7वीं वर्ग के 150 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता तीन राउंड में हुई प्रतियोगिता का संचालन कोलकाता से आये किवज मास्टर श्री राजीव सान्याल ने किया। किवज प्रतियोगिता जीतने वाले बच्चे राष्ट्रीय सेमी फाइनल में हिस्सा लेंगे।

प्रतियोगिता में विजेता डॉ० बास्को स्कूल रहा। फर्स्ट रनरअप ट्रिनटी ग्लोबल स्कूल और सेकेंड रनरअप डीएवी, बीएसइबी रहा।

रोटरी पाटलीपुत्रा की अध्यक्ष



शिल्पी ने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन बच्चों के अन्दर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए किया जाता है। इस तरह के आयोजनों में प्रतियोगी बच्चों को एक दूसरे से विरुद्ध अपनी प्रतिभा को आंकने का मौका मिलता है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार, श्री गोपाल खेमका, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री अमित कुमार, श्री नन्द किशोर अग्रवाल, श्री विपिन चाचान, श्री अशोक बिदासरिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



एकमुश्त समझौता योजना से कई लंबित मामले निबटे : पी. के. अग्रवाल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिहार कराधान विभाग समाधान विधेयक-2019 के लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके लागू होने से व्यवसायियों के वाणिज्य कर विभाग में काफी सारे विवादित मामले लंबित चल रहे थे, जिसके समाधान का रास्ता साफ हो गया है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि बिहार कराधान विभाग समाधान विधेयक-2019 लागू होने के बाद 1 जुलाई, 2017 से लागू जीएसटी के पूर्व के विवादों के निबटारे के लिए राज्य सरकार की ओर से एक मुश्त समझौता योजना (ओटीएस) लाना आसान हो गया है। राज्य सरकार का स्वागतयोग्य कदम है। इसलिए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी धन्यवाद के पात्र हैं।

कई मामले चल रहे थे तर्कित

श्री अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी लागू होने के पूर्व के व्यवसायियों का इंट्री टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, सेंट्रल टैक्स, लाजरी टैक्स, मनोरंजन कर आदि के कई विवादित मामले लंबित चल रहे थे। इसके कारण व्यवसायी तो चिर्तित थे ही, सरकार की भी राजस्व की एक बड़ी राशि लंबित थी। यह विधेयक पारित होने से एक मुश्त समझौता योजना के तहत सहजता से व्यवसायी विवादित मामले का निबटारा कर चिंता से मुक्त हो जायेंगे तथा वाणिज्य-कर विभाग का कार्यभार भी कम हो जायेगा। साथ ही एक बड़ी राशि की प्राप्ति राजस्व के रूप में हो जायेगी। राज्य में जीएसटी में निबंधन से छूट की सीमा, जो वार्षिक 20 लाख थी। उसे बढ़ा कर 40 लाख करने से छोटे व्यवसायियों को काफी राहत मिलेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 29.11.2019)

जीएसटी के लिए राज्य में गठित होगा तीन सदस्यीय अपील प्राधिकरण

सुविधा सदस्यों में ज्यूडिसियरी, राज्य जीएसटी और केन्द्रीय जीएसटी के अधिकारी होंगे

- दूसरी अपील का मंच के लिए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का प्रावधान
- बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2019 विधानसभा में पेश

केन्द्रीय या राज्य जीएसटी के अधिकारियों के फैसले के विरुद्ध अपील करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय अपील प्राधिकरण में तीन सदस्य होंगे। इनमें एक ज्यूडिसियरी, एक राज्य जीएसटी और एक केन्द्रीय जीएसटी के सदस्य होंगे। सीजीएसटी से संबंधित सदस्य को सदस्य तकनीकी कहा जाएगा। बिहार में राज्यस्तरीय अपील प्राधिकरण के गठन के लिए बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2019 विधानसभा में पेश किया गया।

कारोबारी संगठन करते रहे हैं अपील प्राधिकरण गठन की मांग : कारोबारी लंबे समय से एक केन्द्रीय अपील और राज्य अपील प्राधिकरण के गठन की मांग करते आ रहे थे। जीएसटी के तहत राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण जीएसटी कानून से जुड़े मामलों में दूसरी अपील और राज्य-केन्द्र के बीच विवादों का निपटान करने के लिए साझा मंच होगा।

राज्य प्राधिकारों के फैसले के खिलाफ दूसरी अपील राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण में : जीएसटी कानून से जुड़े विवादों में प्राधिकारों के फैसले के खिलाफ पहली अपील राज्यों के अपील प्राधिकरण में दायर की जाएगी। दूसरी अपील राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण में दायर की जाएगी। जीएसटी राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि जीएसटी के तहत विवादों के निपटान में समानता हो। इससे देश में जीएसटी के क्रियान्वयन में भी समानता सुनिश्चित हो सकेगी। जीस्टैट की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी एवं इसमें एक तकनीकी सदस्य (केन्द्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे। राष्ट्रीय प्राधिकरण में प्रथम अपीलों में दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की जाएगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 25.11.2019)

सुशील मोदी बने आइजीएसटी सेटलमेंट मंत्रि समूह के संयोजक

आइजीएसटी सेटलमेंट का विवाद सुलझाने के रास्ते तलाशने के लिए बनाए गए मंत्रिसमूह का पुनर्गठन किया गया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब इस समूह का हिस्सा नहीं रहेंगी। जीएसटी कार्डिसिल की तरफ से जारी नए ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इस मंत्रिसमूह के नए संयोजक होंगे। मंत्रिसमूह के अन्य सदस्यों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 10.12.2019)

कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव : वैट की तर्ज पर जीएसटी का भी उद्यमियों को मिलेगा रिफंड

राज्य के उद्यमियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें वैट की तरह ही माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का भी रिफंड मिलेगा। वाणिज्य कर विभाग उद्यमियों की मांग पर इसका प्रावधान करने जा रहा है। विभाग ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है, संभावना है कि मंगलवार यानी 11 दिसम्बर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जीएसटी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव पास हो जाए। दरअसल राज्य में वैट की अवधि में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिपूर्ति की जा स्थी थी। लेकिन ने जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद से प्रतिपूर्ति की व्यवस्था बंद हो गई थी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 10.12.2019)

टैक्स रिटर्न में गलत पैन देने पर दस हजार जुर्माना

टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार या पैन नम्बर का इस्तेमाल करते वक्त एक गलती आपको 10 हजार रुपये का जटिका दे सकती है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने पैन-आधार अदला-बदली से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

आधार की जगह पैन नंबर देते समय सावधानी बरतने का कारण यह है कि अगर आपने गलत पैन या आधार नंबर डाल दिया तो आयकर विभाग आप पर 10, 000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। केन्द्र सरकार ने बजट 2019 में आयकर अधिनियम की धारा 272 बी में संशोधन किया है।

आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत अगर किसी व्यक्ति द्वारा भरा गया पैन नंबर या आधार नंबर डाल दिया तो आयकर विभाग आप 10, 000 रुपये का जुर्माना कर सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.12.2019)

महँगा लोन लेने को लोग हो रहे मजबूर

राज्य में सरकारी बैंक लोन देने में उदासीन रवैया अपनाते हैं। इसका नतीजा है कि सरकारी बैंकों की तुलना में निजी फाइनेंस कंपनी या संस्थान अधिक ब्याज दर पर आम लोगों को लोन दे रहे हैं।

माइक्रो फाइनेंस संस्थान के नाम से निजी फाइनेंस कंपनियाँ 13 से 18 प्रतिशत की महँगी ब्याज दर पर कर्ज दे रही हैं। वह भी बिना कोई ज्यादा कागजी खानापूर्ति किये। किसी तरह के गरंटर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सरकारी बैंकों के ऐसे रवैये के कारण ही लोग निजी फाइनेंस कंपनियाँ से महँगी ब्याज दर के बाद भी लोन लेने को विवश हैं। इस कारण उन्हें आर्थिक चपत लग रही है।

सीडी रेश्यो आज तक नहीं पहुँचा 50 प्रतिशत से अधिक :

- निजी फाइनेंस कंपनी वाले आम लोगों को 18 से 23 प्रतिशत की महँगी ब्याज दर पर दे रहे कर्ज • बहेद कम समय में राज्य में 45 निजी फाइनेंस कंपनियाँ ने फैला लिया अपना कारोबार, 54 हजार परिवारों को मिला लोन • राज्य के सरकारी बैंकों में लोगों के जमा हैं तीन लाख 45 हजार करोड़, लोन बांटा महज एक लाख 45 हजार करोड़

(विस्तृत : प्रभात खबर, 5.12.2019)

नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को तीस दिनों में मिल जाएँगे सभी लाइसेंस

उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को सारे लाइसेंस 30 दिनों के अंदर देने का प्रावधान किया गया है।



नीति में फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्मॉल मशीन मैनुफैक्चरिंग और हेल्थ केयर को प्राथमिक सेक्टर में रखा गया है। इसमें आने वाले उद्योग को अतिरिक्त सुविधा दी जाती है। वह मुम्बई में निवेशक से मुख्यातिब थे। उन्होंने रोड शो के बाद व्यवसायियों से बिहार में निवेश करने का आग्रह किया। इसका आयोजन उद्योग विभाग और सीआईआई ने किया था। मौके पर विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल, निवेश आयुक्त आर. ए. श्रीवास्तव, निदेशक उद्योग तकनीकी रवीन्द्र प्रसाद व सीआईआई महाराष्ट्र के हेड कश्मीर मेवालाल मौजूद थे।

मखाना और लीची को मिल सकता है अंतरराष्ट्रीय बाजार : उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चाहे रोड कनेक्टिवटी हो या विधि व्यवस्था। गाँवों में भी 22-24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिहार के मखाना, मक्का और लीची को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल सकता है। (साभार : दैनिक भास्कर, 10.12.2019)

केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए 25% सामान की खरीदारी छोटे उद्योगों से करना अनिवार्य

देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई प्रक्षेत्र के उद्योगों की अहम भूमिका है। इसके मद्देनजर इस क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई तरह की नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए हैं। उनमें से एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिसके तहत केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के लिए अपनी वार्षिक आवश्यकता की कम से कम 25 प्रतिशत खरीदारी सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों से करना आवश्यक है। इस 25 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों और 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से खरीदा जाना बाध्यकारी है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 7.12.2019)

औद्योगिक क्षेत्र में 5% जमीन कचरा प्रबंधन को

अच्छी बात : • बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने लिया फैसला • कचरा प्रबंधन शहर से लेकर गाँव तक, बड़ी समस्या बन गई है राज्य में • 12 औद्योगिक क्षेत्र दरभंगा और भागलपुर रीजन में हैं • 9 औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर रीजन में हैं, और विकसित होगे • 4 भागों में बांटा गया है पूरे राज्य को औद्योगिक दृष्टि से

राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अब कचरा (अपशिष्ट) प्रबंधन की व्यवस्था होगी। इसके लिए हर इंडस्ट्रियल एरिया में पाँच प्रतिशत जमीन कचरा प्रबंधन के लिए छोड़ी जाएगी। यह पाँच प्लाट भी हो सकते हैं। फिर उस जमीन पर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। खासतौर से प्लास्टिक वेस्ट के प्रसंस्करण पर फोकस किया जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।

राज्य में अभी हैं 41 औद्योगिक क्षेत्र : राज्य में अभी 41 औद्योगिक क्षेत्र हैं। यह सभी बियाडा के अधीन हैं। राज्य को औद्योगिक दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। इनमें पाटलिपुत्र रीजन, दरभंगा रीजन, मुजफ्फरपुर रीजन और भागलपुर रीजन हैं। पाटलिपुत्र रीजन में आठ औद्योगिक क्षेत्र हैं। दरभंगा और भागलपुर रीजन में 12-12 और मुजफ्फरपुर रीजन में नौ इंडस्ट्रियल एरिया हैं। राज्य में कुछ और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मांग भी लगातार उठ रही है। राज्य सरकार का प्रयास कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने का भी है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.12.2019)

बिहार में आते-आते रह गए तीन बड़े निजी निवेश

उद्योग विभाग ने तीन बड़े निवेश की उम्मीद पाल रखी थी, मगर ये आते-आते रह गए। इन तीन प्रस्तावों से करीब 12,000 करोड़ का प्रदेश में निवेश होना था। दो वर्ष पूर्व दिल्ली में हुए एक एक्सपो में कोलकाता की इमारी कंपनी, आइटीसी और दुबई की अल-सहरा ने निवेश से संबंधित प्रस्ताव विभाग के समक्ष रखे थे।

इमारी कंपनी प्रदेश में हर वर्ष करीब 1000 करोड़ के वनस्पति तेल की बिक्री करती है। इस कंपनी ने प्रदेश में अपनी इकाई लगाने की इच्छा जताई थी। वहाँ, आइटीसी बिस्कुट एवं दूध के उत्पादों के अलावा फूड पार्क की स्थापना करना चाहती थी। दुबई की अल-सहरा कंपनी ने

निजी निवेश के प्रस्ताव	
वर्ष	राशि (करोड़ में)
2014	1443
2015	1247
2016	5,794
2017	5,020
2018	4,050

'लॉजिस्टिक पार्क' की स्थापना का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए 1500 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। उद्योग विभाग ने अल-सहरा को इतनी जमीन उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया था। दो साल गुजर जाने के बाद भी इन कंपनियों ने अबतक अपनी ओर से निवेश के लिए विधिवत प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि मना भी नहीं किया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर ये कंपनियाँ निवेश करने को लेकर पहल करेंगी तो उन्हें तुरंत जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

इन तीन बड़े प्रस्तावों के अलावा, उद्योग विभाग की ओर से ई-वाहनों के निर्माताओं को भी प्रदेश में अपनी एप्सेंब्लिंग इकाई लगाने को जारी करने के प्रयास हुए थे। सूजूकी, हाँड़ा सहित करीब एक दर्जन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ 2018 में उद्योग विभाग ने बैठक भी आयोजित की थी। मगर इन कंपनियों ने भी अबतक पहल नहीं की है। वस्त्र उद्योग के मोर्चे पर भी उम्मीद जगी थी। पिछले वर्ष जालंधर एवं लुधियाना के वस्त्र निर्माताओं के साथ उद्योग विभाग ने कई बैठकें की। इन वस्त्र निर्माताओं को उनकी इच्छा के अनुसूच डेहरी अॅन सोन में जमीन देने का भरोसा दिलाया गया। ये बिहार में करीब एक हजार करोड़ रुपये निवेश करने को इच्छुक थे। पिछले पाँच सालों में छोटे-बड़े सभी प्रकार के निवेश की बात करें तो करीब साढ़े 17 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव ही जमीन पर उतर पाए।

(साभार : दैनिक जागरण, 14.11.2019)

औद्योगिक क्षेत्रों में होंगे फायर स्टेशन-एसटीपी

राज्य के तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में अब मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा। नए क्षेत्रों में शुरुआत से ही इन सुविधाओं को प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा। जबकि मौजूदा इंडस्ट्रियल एरिया में भी इन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) अधिनियम- 1974 में बदलाव किया है। राज्य को औद्योगिक दृष्टि से चार भागों में बाँध गया है। इनमें पाटलिपुत्र, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर रीजन शामिल हैं। इनमें बियाडा द्वारा बनाए गए कुल 41 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बियाडा द्वारा यहाँ सुविधाएँ विकसित की गई हैं। इसके बावजूद वहाँ तमाम सुविधाओं का अभाव है। उनके निर्माण की स्थिति भी बियाडा एक्ट-1974 में स्पष्ट नहीं है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों से लगातार मांग उठ रही थी। बियाडा के सुझावों के आधार पर राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग ने इसमें बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अब यह संचित प्रदीप कुमार ने इसे जारी किया है।

महिला श्रमिकों के लिए होगा विश्राम स्थल : औद्योगिक क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की सुविधा के लिए फिलहाल कई सुविधाएँ हैं। नए बदलाव के तहत अब महिला श्रमिकों के लिए अलग विश्राम स्थल बनेगा। शौचालय आदि की भी व्यवस्था होगी।

औद्योगिक क्षेत्रों में होंगी ये सुविधाएँ : बियाडा अधिनियम-1974 की धारा-2 (क) में जिन बदलावों की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी की है, उनमें दर्जनभर से अधिक सुविधाओं को औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया है। अब वहाँ फायर स्टेशन, बस स्टॉप, टेलीफोन-इंटरनेट सेवाएँ, एसटीपी, जल उपचार संयंत्र, गैस पाइप लाइन, लॉजिस्टिक टर्मिनल, पावर सबस्टेशन, श्रमिकों एवं चालकों के लिए डॉरमेटरी, बैंक शाखा, एटीएम, भोजनालय, धर्मकांठा, ट्रक पार्किंग, कौशल विकास केन्द्र, आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल, सीसीटीवी और सुरक्षा प्रणाली, महिला श्रमिकों के लिए विश्राम स्थल, अक्षय ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक पार्क में सुख-सुविधाओं का विकास।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.12.2019)



बिहार होगा एथनॉल उत्पादन का हब, आठ हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव

राज्य में एथनॉल यूनिट लगाने की दिशा में उद्यमी आगे आने लगे हैं। शराबबंदी के बाद चीनी मिलों में पहले एथनॉल का उत्पादन पहले ही शुरू कर दिए। जिन चीनी मिलों में पहले एथनॉल का उत्पादन नहीं होता था, अब वे भी एथनॉल यूनिट लगाने के लिए सरकार के पास आवेदन दे रही हैं। 21वें राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) की बैठक में पश्चिमी चंपारण में मगध शुगर एंड एनर्जी ने 100 करोड़ और वैशाली में रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 8000 करोड़ का शुगर और एथनॉल यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि एसआईपीबी ने रहेजा एंड प्रसाद कंस्ट्रक्शन कंपनी को होल्ड पर रख दिया है, जबकि मगध शुगर एंड एनर्जी के प्रस्ताव को स्टेज वन क्लियरेंस दे दिया है। इससे पहले श्रीहनुमान शुगर एंड इंडस्ट्रीज एथनॉल यूनिट के लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया था। वैशाली में अनाज से एथनॉल बनाने के लिए एक नई कम्पनी ग्लोब्स ने भी मद्द निवेश एवं उत्पाद विभाग में आवेदन दिया है। अभी राज्य में सालाना 8.5 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन होता है।

अभी इन डिस्ट्रिक्टों में बन रहा है एथनॉल : अभी राज्य के 6 डिस्ट्रिक्टों में एथनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। जिनमें हरिनगर, लौरिया, नरकटियांगज, सुगौली, रीगा, मझौलिया और सीतामढ़ी। लौरिया और सुगौली, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए एथनॉल बना रही है। इन यूनिट में सालाना करीब 8.5 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन करती है। इन कंपनियों से तेल कंपनियों एथनॉल खरीदती हैं और इसे पेट्रोल में मिलाती हैं।

(विस्तृत : साभार : दैनिक भास्कर, 6.12.19)

जीएसटी के नये रिटर्न से कर चोरी रोकने में मिलेगी मदद

जीएसटी के आरंभ से ही रिटर्न की जो परिकल्पना की गयी थी, उसे कई तकनीकी कारणों से सतह पर नहीं लाया जा सका था। इसलिए आरंभ से ही जीएसटी में टैक्स जमा करने के लिए जीएसटी आर-3 वी के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था की गयी थी। विभाग एक बार फिर से जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने जा रहा है। इस संबंध में वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि जीएसटी द्वारा एक अप्रैल, 2020 से नया रिटर्न फॉर्म लाया जायेगा और अभी इसके लिए सभी अंचलों में ट्रायल रन करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इस दौरान सभी डीलर की ओर से दिये गये फीडबैक के आधार पर विभाग इस रिटर्न में जरूरी परिवर्तन कर इसे लागू करने के पूर्व ही कर सकेगा, जिससे की जब इसे अनिवार्य किया जाये, तो किसी को असुविधा न हो, साथ ही जीएसटी के शुरू में जो खरीद और बिक्री के मिलान की गयी थी, उसे लागू किया जा सके। इससे कर की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि नयी व्यवस्था में कुल तीन तरह के रिटर्न फॉर्म सहज, सुगम और नॉर्मल के नाम से लाये गये हैं। साथ ही आउटवर्ड सप्लाइ के लिए एनेक्सर-एक भी भरना पड़ेगा। इसी तरह एनेक्सर-1 के आधार पर प्राप्तकर्ता को एनेक्सर-2 में उसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिसे वह एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पैंडिंग मार्क कर सकता है। इसके आधार पर उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होगा। इस प्रैटिकल रिटर्न को उपयोगिता के आधार पर बनाया गया है, जिसमें वैसे व्यापारी जो केवल बीटूपी माल बेचते हैं और वैसी सप्लाई प्राप्त करते हैं, जिस पर की रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स दिया जाना है, वे सहज रिटर्न का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन, अगर वे इ-कॉर्मस ऑपरेटर के माध्यम से भी माल बेचते हैं, तो उन्हें सहज के माध्यम से रिटर्न भरने की सुविधा नहीं होगी। (साभार : प्रभात खबर, 30.11.2019)

F.No.11/14/2019-Coin

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

(C&C Division)

North Block, New Delhi

Dated 2nd December, 2019

To.

Shri P. K. Aggarwal

President

Bihar Chamber of Commerce and Industries

Khem Chand Chaudhary Marg, Patna

Bihar-800001

Subject:- Petition for issuance of directions to the Banks for acceptance of Coins by General Public.

Sir,

I am directed to refer to PMO's ID No. PMOPG / D / 2019 / 032497 dated 06.09.2019 on the subject mentioned above, and to state that RBI vide its Press Release dated 26.06.2019 has requested to general public to accept the coins of different sizes and designs as legal tender in their transaction without any hesitation. Presently, coins of 50 paise, ₹ 1/-, 2/-, 5/- and 10/- denomination of various sizes, theme and design are in circulation.

2. Further, the Reserve Bank of India has separately reiterated its instructions to banks to accept coins for transaction and exchange at all their branches as advised vide DCM(NE) No.G-2/08.07.18/2018-19 dated July 2, 2018 and updated as on January 14, 2019.

3. RBI is also requested to do the needful and the ATNs may also kindly be forwarded to us. Copy of the petition is enclosed.

Yours Faithfully

sd/-

(Umesh Kumar Bhardwaj)

Section Officer (Coin)

Phone: 23095152

Copy to:-

(i) Shri Jitendra Kumar Mandal, Section Officer, PMO,
South Block, New Delhi - 110011

(ii) CGM, DCM, RBI, Mumbai



EDITORIAL BOARD

Editor

AMIT MUKHERJI

Secretary General

Convenor

RAMCHANDRA PRASAD

Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher

A. K. DUBEY

Dy. Secretary